



एपीडा
APEDA



Ministry of Commerce & Industry

**AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS
EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (APEDA)
Ministry of Commerce & Industry Government of India
New Delhi-110016**

Public Notice

Inviting Applications from Public/ Private Abattoirs for Registration.

In pursuant to Notification No.82 (RE-2010)/2009-2014 dated 31/10/2011 issued by the Govt. of India, Ministry of Commerce & Industry and powers entrusted to Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) under APEDA Act 1985 and rules made thereunder, APEDA invites applications from Public/ Private Abattoirs for registration. Applications may be sent as per procedure available on APEDA website www.apeda.gov.in. Plants registered earlier and listed on APEDA website need not apply afresh.

Vide notification No. 89(RE-2010)/2009-14, dt. 15th Dec. 2011 though transition time have been granted upto 15th June 2012 to enable the exporters of meat and meat products to get the abattoirs upgraded for sourcing of raw material and obtain registration from APEDA. **Keeping in view the deadline fixed by DGFT, Department of Commerce, all the exporters are advised to take all possible measures to totally comply with the above notification.**

Application be addressed to: **The Chairman, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)**
3rd Floor, NCUI Building, Sri Institutional Area August Kranti Marg
(Opp. Asiad Village), New Delhi - 110016



एपीडा
APEDA



Ministry of Commerce & Industry

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार), नई दिल्ली - 110 016

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक / निजी बूचड़खानों से पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित। भारत सरकार, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 31.10.2011 की अधिसूचना सं. 82 (आरई-2010) / 2009-2014 का पालन करते हुए और एपीडा अधिनियम 1985 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को सौंपे गए अधिकारों के अनुसार बूचड़खानों के पंजीकरण के लिए सार्वजनिक / निजी बूचड़खानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर उपलब्ध दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन भेजे जा सकते हैं। पहले से पंजीकृत और एपीडा की वेबसाइट पर सूचीबद्ध संयंत्रों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचना सं. 89 (आरई-2010) / 2009-14, दिनांक 15 दिसंबर 2011 द्वारा 15 जून 2012 तक परिवर्तनकाल समय की अनुमति दी गई है ताकि मांस तथा मांस उत्पादों के निर्यातक कच्ची सामग्री की सोर्सिंग हेतु बूचड़खानों को उन्नत बनायें और एपीडा से पंजीकरण प्राप्त कर सकें। डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग द्वारा तय की गई समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त अधिसूचना का पूरी तरह पालन करने के सभी संभव उपाय करें।

आवेदन इन्हें संबोधित किए जाएं : अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) तीसरा तल, एनसीयूआई भवन, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग (एशियाड विलेज के सामने) नई दिल्ली 110016